न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 20 / 2017 (उदयपुर आर्डर)

1. मोहनलाल पिता भूरा जी गुर्जर, निवासी गोटीपा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. नारायण पिता भूरा जी गुर्जर, निवासी गोटीपा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. बाबूलाल पिता परथा जी गुर्जर, निवासी गोटीपा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. रूपलाल पिता परथा जी मुतबन्ना धन्ना जी गुर्जर, निवासी गोटीपा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार / उपपंजीयक, वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम – 1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर
दिनांक 27–07–2017, प्र॰सं॰ 41 / 2017

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री मानाराम डांगी अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री राजेन्द्र धाकड़ अभिभाषक रेस्पो. सं. 1, 2
3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 12–12–2017**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण / अपीलान्ट द्वारा विपक्षीगण / रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन

किया कि ग्राम गोटीपा में प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट (क) में अंकित कुल किता 11 रकबा 37 बीघा 6 बिस्वा भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड में जेराम, धन्ना, नाना, गोविन्दा पिता किशना के नाम अंकित होकर नाामान्तरकरण संख्या 559 विरासत से जेराम के बजाय परथा पिता जेराम के नाम दर्ज हुआ है। नामान्तरकरण संख्या 592 से धन्ना पिता किशना के बजाय रूपलाल पिता धन्ना के नाम दर्ज हुआ है। नामान्तकरण संख्या 593 बेचान से प्रथा पिता जेराम, ऐजीबाई बेवा जेराम के बजाय 76–77 दमें 1/4 हिस्सा नारायणलाल पिता भूरा गाडरी के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज। इसी प्रकार कलम संख्या 2 में परिशिष्ट (क) की भूमियां अंकित हिस्सा अनुसार दर्ज रेकार्ड है।

इसी प्रकार परिशिष्ट (ख) की आराजी नंबर 99, 199 किता 2 रकबा 9 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 8 के संयुक्त परिवार की होकर मौरूस किशना जी के समय से चली आ रही हैं, जिनका सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार होकर किशना जी के 5 पुत्र भागा, जेराम, धन्ना, नाना व गोविन्दा हुए। भागा के दो पुत्र भूरा व भीमा हुए तथा भूरा के 2 पुत्र मोहनलाल व नारायणलाल हुए जो प्रार्थीगण हैं। जेराम के एक पुत्र परथा हुए परथा के 2 पुत्र बाबूलाल व रूपलाल हुए जो विपक्षी संख्या 1 व 2 हैं। धन्ना ने परथा के पुत्र रूपलाल को गोद रखा। नाना के 3 पुत्रियां उदी, चतरू व हमेरी हुई, जबकि गोविन्दा दिनांक 11–05–2017 को लाऔलाद फोत हो गया। इस प्रकार किशना जी की भूमियों में उसके प्रत्येक पुत्र का 1/5, 1/5 हिस्सा है, किन्तु किशना जी की मृत्यु पर विरासत का नामान्तरकरण बड़े पुत्र भागा के नाम नहीं खोला जाकर अन्य 4 पुत्रों जेराम, धन्ना, नाना व गोविन्दा के नाम स्वीकृत हुआ, जबकि प्रार्थीगण के पिता भागा जो किशना जी के पुत्र थे का भी 1/5 हिस्सा होने से प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/10, 1/10 हिस्सा है।

किशना जी पुत्र धन्ना के कोई संतान नहीं होने से उसने परथा के पुत्र रूपलाल को गोद रखा। इसी तरह किशना जी के छोटे पुत्र गोविन्दा लाऔलाद फोत हुए, जिसकी सेवा चाकरी एवं बीमारी आदि में इलाज प्रार्थीगण व पिपक्षी संख्या 1 से 8 ने मिलकर करवाया। गोविन्दा जी फरवरी 2017 में अचानक बीमार हो गये, जिस पर प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 से 8 मिलकर उसे वल्लभनगर लाये व इलाज कराया, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। दिनांक 27–03–2017 को पुनः गोविन्दा जी अचानक

काफी बीमार हो गये तो विपक्षी संख्या 1 व 2 ने इलाज के बहाने उन्हें वल्लभनगर लाये एवं परिशिष्ट (क) में अंकित गोविन्दा के 1/4 हिस्से की भूमियां तथा परिशिष्ट (ख) में अंकित 1/24 हिस्से का षडयंत्र पूर्वक बिना प्रतिफल दिये नुमायशी बेहनामा कराकर पंजियन अपने नाम पर करवा लिया, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था एव प्रार्थीगण अपने हक हिस्से अनुसार अपने पिता के समय से काबिज चले आ रहे हैं। विपक्षीगण ने दिनांक 27–03–2017 को निष्पादित विक्रय पत्र धोखे से करवाया जिसे गोविन्दा के निधन दिनांक 11–05–2017 तक जानबूझकर छुपाकर रखा एवं उनके निधन के बाद लडाई–झगड़ा करने लगे तथा प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमकी देते लगे। उक्त भूमियां पर प्रार्थीगण का दीर्घकाल से कब्जा है। निवेदन किया कि दिनांक 27–03–2017 को नुमाईशी बेहनामा मानते हुए प्रार्थीगण के हक हिस्से अनुसार उनके कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करने, हस्तान्तरण नहीं करने एवं मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये जाने जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

विपक्षी संख्या 1 व 2 ने खण्डन का जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रथमता वादग्रस्त भूमियों के संबंध में उनके द्वारा दिनांक 07–04–2017 को केवियट प्रस्तुत कर दी गयी थी। द्वितीयता प्रार्थीगण के दादा भागा उर्फ भगा जी आज से करीब 70 वर्ष पूर्व अपने प्राकृतिक दादा भेरा जी के भाई कूका जी के लड़के घासी जी के गोद चले गये, जिससे अपने प्राकृतिक पिता किशना जी की चल अचल सम्पत्तियों में उसके हक अधिकार समाप्त होकर अपने गोद पिता घासी जी की चल अचल सम्पत्ति में सृजित हो गये। प्रार्थीगण ने अधूरा सजरा प्रस्तुत किया है। जवाब की कलम संख्या 3 अनुसार सजरा होकर मूल नन्दा जी के 6 पुत्र उदा, भेरा, हमेरा, वेणा, काना व कूका हुए। भेरा जी का बड़ा पुत्र भागा उर्फ भगा जो प्रार्थीगण के पिता थे करीब 70 वर्ष पूर्व अपने काका कूका जी के पुत्र घासी जी के गोद चले गये, जिससे उनके अपने प्राकृतिक पिता की सम्पत्ति में हक अधिकार समाप्त होकर घासी जी की सम्पत्ति में हक अधिकार प्राप्त हुए। प्रार्थीगण का उक्त भूमियों में कोई हक हिस्सा नहीं है न ही उनका कब्जा है। गोविन्दा जी अपने भाई नाना जी के साथ रहते थे और नाना जी की एक पुत्री चतरू विधवा होने से वह भी नाना व गोविन्दा के साथ रहती थी। तीनों का एक ही राशन कार्ड होकर संयुक्त रूप से नाम अंकित है। चतरू

ने ही गोविन्दा की सेवा चाकरी की तथा उनकी बीमारी में पैसों की आवश्यकता होने से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से रूपये प्राप्त कर गोविन्दा जी से विक्रय पत्र निष्पादित करवाया। गोविन्दा द्वारा किया गया विक्रय पत्र विधि सम्मत है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 27–07–2017 से प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिस से रूष्ट होकर अपीलान्टगण/प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 03–08–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री राजेन्द्र धाकड़ ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार वकील श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रमुख रूप से यह उजर लिये गये कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों का अवलोकन किये बिना निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट की ओर से अधिनस्थ न्यायालय में यह निवेदन किया गया कि विक्रय पत्र दिनांक 27–03–2017 का निष्पादन धोखा–धड़ी पूर्वक किया गया है तथा गोविन्दा के निधन तक उक्त विक्रय पत्र को गुप्त रखा है। विपक्षीगण उक्त नुमाईशी विक्रय पत्र की आड़ में अपीलान्ट/प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है, जिससे उन्हें रोका जाना आवश्यक है। अतएवं अपील स्वीकार की जाकर उन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात व बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा अपने दादा

भागा जी को घासा जी के गोद जाने के तथ्यों को छुपाकर आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिससे स्पष्ट है की प्रार्थीगण क्लीन हैण्ड से नहीं आये हैं। प्रथमता तो अपीलान्ट का यह कथन कि किशना जी की विरासत से भागा जी को वंचित किया गया है, यह इस स्तर पर प्रमाणित नहीं है, क्योंकि भागा जी के घासा जी के गोद जाने के तथ्यों को अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा निषेध नहीं किया गया है।

इसके अलावा प्रकरण में जहां तक गोविन्दा की विरासत अपीलान्ट को प्राप्त होने का प्रश्न है, यह सुस्पष्ट है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त भूमि का पंजीकृत विक्रय हिस्सेदार खातेदार से क्रय किया गया है। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस यह भी कथन किया गया कि उनके द्वारा उक्त विक्रय पत्र को निरस्त कराये जाने के लिए सिविल न्यायालय में वाद पेश कर रखा है। अर्थात उक्त विक्रय पत्र के अस्तित्व में रहने तक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 के स्वत्व को नहीं माने जाने का कोई आधार नहीं है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का जो प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं मानते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन खारिज किया है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। न तो हम इस प्रार्थना पत्र स्तर पर भागा को किशना का उत्तराधिकारी मानते हैं न ही गोविन्दा द्वारा किये गये उसके हक अधिकारों के पंजीकृत विक्रय पत्र को नजर अंदाज कर प्रार्थीगण को उसका विधिक अथवा प्राकृतिक उत्तराधिकारी मान सकते हैं। तद्नुसार हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27–07–2017 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 12–12–2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर